2006:CGHC:6850

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक: 428/2004

हेमेन्द्र राज, उर्फ़ राजा साहू

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

दांडिक अपील क्रमांक: 482/2004

गणेश सोनी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकल पीठ: माननीय श्री दिलीप रावसाहब देशमुख न्यायमूर्ति

निर्णय हेतु दिनांकः 29-08-2006 को सूचीबद्ध

हस्ताक्षरित/-

दिलीप रावसाहब देशमुख

न्यायधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक: 428/2004

हेमेन्द्र राज, उर्फ़ राजा साहू

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

दांडिक अपील क्रमांक: 482/2004

गणेश सोनी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकल पीठ: माननीय श्री दिलीप रावसाहब देशमुख न्यायमूर्ति

उपस्थित:

श्रीमति फौजिया मिर्ज़ा, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी हेमेन्द्र राज, उर्फ राजा साहू के लिए I

श्री राजीव श्रीवास्तव, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी गणेश सोनी के लिए I

श्री आशीष शुक्ला, विद्वान शासकीय अधिवक्ता राज्य के लिए I

निर्णय

(29वाँ दिवस अगस्त, 2006 को सुनाया गया)

यह निर्णय हेमेन्द्र राज, उर्फ राजा साहू की दांडिक अपील क्रमांक- 428/2004 एवं गणेश सोनी की दांडिक अपील क्रमांक- 482/2004 पर लागू होगा ।

2. उपरोक्त दोनों अपील श्री टी.पी. शर्मा, विशेष न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक-121/2003 में दिनांक 12-04-2004 को दिए गए निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है। अपीलार्थी हेमेन्द्र राज, उर्फ राजा धारा 365, 366, 342 व 376 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषी पाया गया तथा उसे धारा 365 व 366 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोनों धाराओं के लिए 3-3 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गयी, साथ में धारा 342 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत 6 महीने के कठोर कारावास एवं धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत 7 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गयी है। अपीलार्थी गणेश सोनी को धारा 365, 366 व 342 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषी पाया गया तथा उसे धारा 365 व 366 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोनों धारा के लिए 3-3 वर्ष की कठोर कारावास तथा धारा भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत 6 महीने के कठोर कारावास की सज़ा भी सुनाई गयी थी। ये सभी दंड क्रमानुगत रूप से चलने का आदेश दिया गया था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. संक्षेप में घटना यह है कि दिनांक 08-08-2003 को अभियोक्त्री जो अनुसूचित जनजाति से है और जिसकी आयु लगभग 22 वर्ष है, वह रात्रि लगभग 8:15 बजे दवाई खरीदने के लिए मेडिकल दुकान जा रही थी। अपीलार्थीगण पीछे से आये और उसे बलपूर्वक अपहरण कर स्कूटर में बैठाकर अपीलार्थी हेमन्द्र राज के घर पंचशील नगर, पुराना भिलाई, जिला दुर्ग ले गए। उसे एक कमरे में बन्द कर दिया गया। अपीलार्थी हेमेन्द्र राज ने अभियोक्त्री के साथ दो बार बलात्कार किया। अन्वेषण के दौरान यह उजागर हुआ कि जब अपीलार्थी हेमेन्द्र राज अभियोक्त्री के साथ बलात्कार कर रहा था तब श्रवण नामक एक व्यक्ति, अपीलार्थी हेमेन्द्र राज के घर में उपस्थित था, जो अपीलार्थी गणेश के साथ बाहर खड़ा रहता था। जब अभियोक्त्री ने चिल्लाने का प्रयास किया, अपीलार्थी हेमेन्द्र राज उसे मरता और उसका गला दबाया करता। लगभग सुबह 3 बजे अपीलार्थी हेमेन्द्र राज उसे स्कूटर पर ले गया और उसे बुद्धबिहार, चरोदा की मुख्य सड़क पर छोड़ दिया और धमकी दी कि यदि वह किसी को भी इस घटना के बारे में बताएगी तो वह उसे जान से मार डालेगा। घबराहट की स्थिति में अपने घर आते समय करीब प्रातः 3:30 बजे वह गोरखा चौकी दार आमोस थापा (अ.सा.-2) से मिली और किसी को ना बताने का अनुरोध करते हुए उसे घटना के बारे में बतायी और उसे उसके घर छोड़ने को कहा। आमोस थापा (अ.सा.-2) ने अभियोक्त्री को उसके घर, चरोदा ले गया, वहाँ पर अभियोक्त्री ने उसके लिए प्रतीक्षा कर रही चिन्तित और व्याकुल माँ श्रीमति तुलसी सिंगारे (अ.सा.-8) और भाई श्री प्रकाश सिंगोरे (अ.सा.-

9) को इस घटना के बारे में बतायी। अभियोक्त्री के द्वारा दिनांक 09-08-2003 को सुबह 10:30 बजे, पुलिस थाना-भिलाई-3 में प्राथमिकी (प्र-पी/ 5) दर्ज़ कराई गई। उप-निरीक्षक अशोक जोशी (अ.सा.-6) ने अपीलार्थी हेमेन्द्र राज से दिनांक 09-08-2003 को रात 7:55 बजे उसके घर के शयन कक्ष से दो बेडशीट, जिन पर वीर्य जैसे दाग थे, घटना के समय अपीलार्थी हेमेन्द्र राज द्वारा पहनी गई एक नीली अण्डरवियर, जिस पर वीर्य जैसे दाग थे, और एक एल.एम.एल. स्कूटर, जिसका पंजीकरण क्र. एम.पी.-24/ई.बी./9266 है जब्त किया, जो कि प्रदर्श-पी/10 है। दिनांक 09-08-2003 को रात 09-30 बजे अभियोक्त्री से चोकलेट रंग का एक सलवार जब्त किया गया, जिस पर वीर्य जैसे दाग थे, जो कि प्रदर्श-पी/12 है।

4. अभियोक्त्री की जाँच डॉ. श्रीमति प्रतिभा दानी (अ.सा.-3) द्वारा दिनांक 09-08-2003 को शाम 7 बजे किया गया। उन्होंने अभियोक्त्री के शरीर अथवा गुप्तांगों पर किसी भी चोट का कोई प्रमाण नहीं पाया। अभियोक्त्री के योनी में एक अंगुली आसानी से प्रवेश कर रही थी। गर्भाशय सामान्य आकार का था। अभियोक्त्री का अन्तिम मासिक धर्म 16 जुलाई को प्रारंभ हुआ था। दो योनी-स्लाईड तैयार कर उन्हें सीलबन्द किया गया और पैथोलजिकल परीक्षण के लिए सिपाही सन्तोष सिंह को सौंपा गया। अभियोक्त्री के साथ हुए हाल के यौन सम्बन्ध के बारे में कोई निश्चित मत नहीं दिया जा सका। अपीलार्थी हेमेन्द्र राज उर्फ राजा का मेडिकल परीक्षण डॉ. एस. एन. चौबे (अ.सा.-4) के द्वारा दिनांक 11-08-2003 को सुबह 11:25 बजे किया गया। उन्होंने हेमेन्द्र राज उर्फ राजा के शरीर या जननांगों पर कोई बाहरी चोट का निशान नहीं पाया। शिश्न की चमड़ी के नीचे और मुण्ड पर स्मेग्मा उपस्थित था। उन्होंने मत दिया कि अपीलार्थी हेमेन्द्र राज यौन सम्बन्ध बनाने में सक्षम है, और स्मेग्मा की मौज़ूदगी से पता चलता है कि मेडिकल परीक्षण से 48 घण्टे पहले उसने कोई यौन सम्बन्ध नहीं बनाया था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. डॉ. एस.एन. चौबे (अ.सा.-4) के द्वारा नीले रंग की अण्डरवियर व दो बेडशीट की जाँच की एवं डॉ. प्रतिभा दानी (अ.सा.-3) के द्वारा सलवार की जाँच की गयी और इन वस्तुओं पर लगे दागों पर गोल घेरा लगाकर तथा वीर्य की पुष्टि के लिए इनकी रासायनिक जाँच की सलाह दी। एक प्रमाणपत्र प्र-पी/15, जो जाँच के समय जब्त किया गया था दर्शाता है कि अभियोक्त्री अनुसूचित जनजाति से है। उपरोक्त वस्तुओं को पुलिस अधीक्षक, दुर्ग के मेमो प्र-पी/26 के साथ दिनांक 25-08-2003 को रासायनिक विश्लेषण के लिए एफ.एस.एल. को भेजा गया था। रिपोर्ट प्र-पी/19 दिनांकित 27-01-2004 के अनुसार दोनों बेडशीट, अपीलार्थी की अण्डरवियर और साथ ही अभियोक्त्री की सलवार तथा योनी-स्लाईडों पर वीर्य व मानव-शुक्राणु की उपस्थिति की पुष्टि हुई है। अभियोक्त्री की आयु निर्धारित करने के

लिए उसकी अस्थिकरण परीक्षण किया गया । डॉ. ए.के. साहु (अ.सा.-12) के मत अनुसार अभियोक्त्री की आयु 19 वर्ष से अधिक है। जाँच पूर्ण होने के पश्चात् आवेदक हेमेन्द्र राज और गणेश पर भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 376(2)(छ), 365, 342, 366, 506-ख एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(5) के अन्तर्गत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया।

6. दोनों अपीलार्थीगण ने उनके द्वारा अपराध करना अस्वीकार किया। अपीलार्थी हेमेन्द्र राज ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने कथन में कहा कि उसने कभी भी अभियोक्त्री के साथ यौन सम्बन्ध नहीं बनाया है, और उसे झूठा फँसाया गया है। अपीलार्थी गणेश ने भी अपने को निर्दोष तथा अभियोक्त्री द्वारा उसे झूठा फँसाया जाना बताया है। बचाव पक्ष ने मुकेश डोंगरे (ब.सा.-1) तथा जग्गु, उर्फ जगेश्वर (ब.सा.-2) का परीक्षण किया। उन्होंने

कहा कि 08 अगस्त, 2003 की रात लगभग 8.30 बजे अभियोक्त्री को अपीलार्थी हेमेन्द्र राज उर्फ राजा के किराने की दुकान के सामने देखा गया था। उस समय वह अपीलार्थी हेमेन्द्र राज उर्फ राजा को उससे शादी करने दबाव डाल रही थी, और ऐसा न करने पर उसने हेमेन्द्र राज उर्फ राजा को झूठा फँसाने की धमकी दी थी। यह भी कथन किया गया है कि अभियोक्त्री चिल्ला रही थी और अपीलार्थी हेमेन्द्र राज को गाली दे रही थी और हेमेन्द्र राज ने बार-बार कहा कि उसके माता-पिता घर पर नहीं हैं। लगभग रात को 9.15 बजे समझाये जाने पर अपीलार्थी हेमेन्द्र राज को गाली देते हुए अभियोक्त्री वहाँ से चली गई, उसके जाने के बाद अपीलार्थी ने अपनी दुकान बन्द किया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. श्रीमति फौजिया मिर्जा, अपीलार्थी हेमेन्द्र राज की विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि अभियोक्त्री (अ.सा.-7) के कथन की कंडिका 3 और 4 से इस बात पर सन्देह की कोई संभावना नहीं बचती कि अपीलार्थी हेमेन्द्र राज द्वारा अभियोक्त्री के साथ यदि कोई शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किया भी गया होगा तो वह पूरी तरह से अभियोक्त्री की सहमति से हुआ होगा, क्योंकि जब उसे अपीलार्थी द्वारा स्कूटर पर ले जाया जा रहा था, अथवा जब उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया जा रहा था, तो उसने कोई शोर नहीं किया था। उसका कथन कि उसके साथ यौन सम्बन्ध बनाने के बाद अपीलार्थी हेमेन्द्र राज घर के बाहर चला गया था और अपीलार्थी तथा श्रवण उस समय हँस रहे थे एवं करीब आधे घण्टे के बाद अपीलार्थी हेमेन्द्र राज फिर से कमरे में आया और उसके साथ फिर से बलात्कार किया स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यौन क्रिया के समय अभियोक्त्री ने न तो कोई प्रतिरोध किया और बलात्कार के बाद प्रथम बार अकेले होने पर भी मदद के लिए कोई शोर नहीं मचाई थी। यह भी तर्क दिया गया है कि डॉ. प्रतिभा दानी (अ.सा.-3) के चिकित्सा-साक्ष्य कि कुछ समय पहले बनाये गए यौन सम्बन्ध के बारे में कोई निश्चित मत नहीं दिया जा सकता है एवं

अभियोक्त्री के शरीर या गुप्तांगों में कोई बाहरी या अन्दरूनी चोट नहीं पायी गयी, जिससे भी अभियोक्त्री का साक्ष्य संदिग्ध है। ***प्रताप मिश्रा एवं अन्य बनाम उड़ीसा राज्य*** जो कि **ए.आई.आर. 1977 एस.सी. 1307** में प्रतिवेदित है के निर्णय का अवलंब लिया गया है कि अभियोक्त्री पर किसी भी प्रकार के चोट की अनुपस्थिति दर्शाती है कि, अभियोक्त्री ने अभियुक्त तथा अपीलार्थी हेमेन्द्र राज द्वारा कथित यौन-कृत्यों का प्रतिरोध नहीं किया एवं इससे एकमात्र अकाट्य निष्कर्ष निकलता है कि अभियोक्त्री सहमत पक्ष थी। यह भी तर्क दिया गया कि बचाव साक्षियों के कथन से साफ़ है कि चूँकि अपीलार्थी हेमेन्द्र राज ने अभियोक्त्री को विवाह करने से मना किया, इसलिए अभियोक्त्री ने

उसे झूठा फँसाया है। उन्होंने अभियोक्त्री के कथन कि कंडिका 3 एवं 4 को सन्दर्भित करते हुए अभियोक्त्री द्वारा दायर की गई प्रथम सूचना रिर्पोट में उपस्थित कई चूकों की ओर इंगित किया है। यह भी तर्क दिया गया है कि अभियोक्त्री के द्वारा किए गए कथन की कंडिका 9 एवं 10 किसी भी सन्देह की संभावना नहीं छोड़ती है कि जिस मोहल्ले से कथित रूप से अभियोक्त्री को अपहरण किया गया था वह एक व्यस्त स्थान है, जहाँ लोगों के आवाजाही बहुत है एवं अभियोक्त्री ने स्कूटर पर ले जाते समय कोई शोर नहीं मचाया इस बात को इंगित करता है कि अभियोक्त्री स्वेच्छा से अपीलार्थी के साथ गई थी। अन्त में तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष की महत्त्वपूर्ण कड़ी आमोस थापा (अ.सा.-2) ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया है। इन आधारों पर यह आग्रह किया गया है कि विद्वान न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी हेमेन्द्र राज की दोषसिद्धि व सज़ा को अपास्त किया जाए ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. श्री राजीव श्रीवास्तव, अपीलार्थी गणेश के विद्वान अधिवक्ता, ने प्रभावी तर्क दिया है कि अपीलार्थी गणेश को झूठा फँसाया गया है। अभियोक्त्री के कथन की कंडिका 1 का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि उसमें से एक भी तथ्य प्रथम सूचना रिर्पोट प्र-पी/5 में उल्लेखित नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि अपीलार्थी गणेश को अभियोक्त्री जानती भी नहीं थी, अपीलार्थी हेमेन्द्र राज के मित्र होने के कारण उसे झूठा फँसाया गया है ।

9. दूसरी तरफ श्री आशीष शुक्ला, विद्वान शासकीय अधिवक्ता, ने तर्क किया है कि अपीलार्थी हेमेन्द्र राज द्वारा किए गए अभियोक्त्री के अपहरण, सदोष परिरोध तथा बलपूर्वक शारीरिक सम्बन्ध को एफ.एस.एल. रिपोर्ट और श्रीमति तुलसी सिंगारे (अ.सा.-8) और श्री प्रकाश सिंगारे (अ.सा.-9) के साक्ष्य से पुष्ट होता है, साथ में गोरखा चौकीदार आमोस थापा (अ.सा.-2), जिसे अभियोक्त्री ने घटना घटित होने के बाद घर लौटते वक्त घटना के बारे में बताई थी, उससे भी पुष्ट होती है। यह तर्क किया गया है कि उपरोक्त गवाहों के साक्ष्यों के साथ प्रथम सचना रिर्पोट में उल्लेखित तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आमोस थापा (अ.सा.-2) ने झूठी गवाही दी है। ***रणजीत हजारिका बनाम असम***

राज्य जो की **1988-एस.सी.सी. (दांडिक) 1725** में प्रतिवेदित है, तथा ***पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह तथा अन्य*** जो कि **1996-खंड-2 एस.सी.सी. 384** में प्रतिवेदित है एवं ***विष्णु उर्फ उन्दरीया बनाम महाराष्ट्र राज्य*** जो कि **(2006) 1 एस.सी.सी. (दांडिक) 217** में प्रतिवेदित है पर अवलम्ब कर तर्क किया गया है कि अभियोक्त्री की गवाही पूरी तरह से विश्वसनीय थी, क्योंकि यदि वह स्वेच्छा से उसके साथ गई होती, तो वह अपीलार्थीगण को झूठा नहीं फँसाती, अथवा उसने अपीलार्थी हेमेन्द्र राज को यौन सम्बन्ध के लिए सहमति दी होती। अभियोक्त्री का अपीलार्थीगण के प्रति किसी प्रकार का द्वेष अथवा झूठा फँसाने के लिए कोई अभिप्रेरणा नहीं थी। बचाव पक्ष के गवाहों का साक्ष्य केवल एक पश्चात्-विचार था, क्योंकि अभियोक्त्री को बचाव पक्ष के साक्षियों की उपस्थिति से सामना नहीं करावाया गया था। प्रतिपरीक्षण में उसे बचाव पक्ष के साक्षियों के द्वारा दिए गए कथन के तथ्यों के सम्बन्ध में कोई सुझाव नहीं दिया गया था। अन्त में तर्क दिया गया कि अभियोक्त्री के शरीर पर चोटों की अनुपस्थिति के कारण को अभियोक्त्री के द्वारा पूरी तरह से समझाया गया है कि अपीलार्थी हेमेन्द्र राज ने अपने घर में बिस्तर पर उसके साथ यौन सम्बन्ध बनाया था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. विरोधी तर्कों पर विचार करने के बाद मैंने विशेष प्रकरण संख्या- 121/2003 के सभी दस्तावेजों को अत्यन्त सावधानी से अध्ययन किया है। अभियोक्त्री के साक्ष्य के मूल्यांकन से सम्बन्धित विधि अब सुस्थापित है। **पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह (पूर्वोक्त)** में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार कहा है-

> "न्यायालयों को साक्ष्यों के मूल्यांकन करते समय इस तथ्य के प्रति सजग रहना चाहिए कि बलात्कार के मामले में कोई भी आत्म-सम्मानित महिला अपने सम्मान के विरुद्ध न्यायालय में ऐसा अपमानजनक कथन देने के लिए आग नहीं आएगी कि उसके साथ बलात्कार जैसा कृत्य हुआ है। यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में ऐसे कही गयी बातों को, जिनकी अभियोजन पक्ष के मामले की सत्यता पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता है, अथवा यहाँ तक कि अभियोक्त्री के कथन में विसंगतियों को भी, यदि ये विसंगतियाँ घातक प्रकृति की न हो तो विश्वसनीय अभियोजन प्रकरण की उपेक्षा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। महिलाओं का जन्मजात लज्जाशील होना तथा यौन-हमलों के ज्यादतियों को छुपाने की प्रवृत्तियों को न्यायालयों के द्वारा अनदेखा नहीं करना चाहिए। इस तरह के प्रकरणों में पीड़िता का साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण होता है एवं यदि अतिआवश्यक कारण नहीं हो तो अभियोक्त्री के कथन के समर्थन कि आवश्यकता नहीं है। न्यायालयों को यौन हिंसा पीड़िता के कथनों पर विश्वास कर उस पर कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, यदि

उसका साक्ष्य विश्वसनीय और भरोसेमंद हो। उसके साक्ष्य पर विश्वास के पूर्व, साक्ष्य के लिए समर्थन ढूंढना, चोट पर अपमान जोड़ने के सामान है। बलात्कार या यौन प्रताड़ना की शिकायत करने वाली बालिका अथवा महिला के द्वारा दिए गए साक्ष्य को क्यों सन्देह, अविश्वास, या संदेह की नज़र से देखा जाए? न्यायालय को अभियोक्त्री के साक्ष्य का परिक्षण करते समय अभियोक्त्री के कथन में कुछ निश्चितता ढूंढनी चाहिए जिससे वह अपने न्यायालयीन अंतरात्मा को सन्तुष्ट करें, चूँकि वह एक ऐसी साक्षी है जो उसके द्वारा लगाए गए आरोपों के परिणाम की हितार्थी है। परंतु विधि यह अपेक्षा नहीं करता कि आरोपी के दोषसिद्धि के लिए अभियोक्त्री के कथन को किसी समर्थन की आवश्यकता है। यौन हिंसा पीड़ित का साक्ष्य, आहात साक्षी का साक्ष्य के समकक्ष है, और एक सीमा तक उससे भी ज़्यादा विश्वसनीय है। जैसे घटना में आहात साक्षी जिसकी चोट स्वयं द्वारा कारित नहीं हो, एक अच्छा साक्षी समझा जाता है क्योंकि ऐसी सम्भावना बहुत कम रहती है कि वह वास्तविक दोषी को बचाने का प्रयास करेगा। यौन अपराध पीड़ित के साक्ष्य को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, भले ही पुष्टिकर साक्ष्य हो अथवा ना हो। बलात्कार के सभी प्रकरणों में पुष्टिकर साक्ष्य न्यायालयीन विश्वसनीयता का आवश्यक तत्त्व नहीं है। अभियोक्त्री की साक्ष्य के समर्थन में पुष्टिकर साक्ष्य विधिक विश्वसनीयता के लिए आवश्यक शर्त नहीं है, परंतु परिस्थिति में विवेकपूर्ण सावधानी के लिए दिशा-निर्देशक है। यह अनदेखा नहीं करना चाहिए कि यौन-उत्पीड़न पीड़ित बालिका या महिला अपराधी की साथी नहीं है, परंतु वह अन्य व्यक्ति के वासना की शिकार है एवं इसलिए उसके साक्ष्य का शंकापूर्ण परीक्षण उसके साथ आरोपी की तरह व्यवहार करना होगा, जो कि अनुचित एवं अवांछनीय है। उपस्थित तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय को निष्कर्ष तक पहुँचना है, जिसमे वास्तविक विविधता न कि मृत एकरूपता का ध्यान रखा जावें, और विधि के शासन के रूप में एक तरह की कठोरता तो बिलकुल नहीं जिससे नए प्रकार की साक्षीय निरंकुशता में न्याय निरर्थक बनकर रह जायेगा। जब सम्पूर्णता से देखने पर यौन अपराध से पीड़ित के कथन से न्यायालयीन विवेक में सम्भव प्रतीत हो तो न्यायालय जीवाश्म बन चुके सूत्रीकरण को थामें नहीं रह सकता एवं पुष्टिकरण के लिए जोर नहीं दे सकता।''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. ***रणजीत हजारिका बनाम असम राज्य*** जो कि **1988 सुप्रीम कोर्ट केसेज (दांडिक) 1725** में प्रतिवेदित, में सर्वोच्च न्यायालय ने गुरमीत सिंह (पूर्वोक्त) का उल्लेख करते हुए माना है कि यदि अभियोक्त्री का साक्ष्य विश्वास उत्पन्न करता है तो उसके साक्ष्य को मात्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए कि चिकित्सीय मत से पुष्टि का आभाव है। यह निष्कर्ष दिया गया कि चूँकि अभियोक्त्री के साक्ष्य की पुष्टि उसके पिता व माता के कथनों से होती है

जिन्हें उसने तुरन्त बाद घटना के बारे में बतायी थी, इसलिए अपीलार्थी की धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्धि पूरी तरह से उचित है।

12. ***विष्णु, उर्फ उण्डरीया बनाम महाराष्ट्र राज्य***, जो कि (**2006) 1 एस.सी.सी. (दांडिक) 217** में प्रतिवेदित है, में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि न्यायालय की सहायता के लिए विशेषज्ञ के रूप में बुलाए गए चिकित्सक साक्षी, तथ्यों का साक्षी नहीं है एवं चिकित्सा अधिकारी के द्वारा दिया गया साक्ष्य वास्तव में परामर्श की प्रकृति का होता है, जो जाँच में पाए गए लक्षणों के आधार पर दिया जाता है। चिकित्सकीय मत केवल न्यायालय की सहायता के लिए था तथा जिसकी प्रकृति परामर्श रूपी थी तथा तथ्यों के साक्षी पर बंधनकारी नहीं थी। यह निष्कर्ष दिया गया कि अभियोक्त्री की साक्ष्य स्वाभाविक, विश्वास जगाने वाला, स्वीकृति योग्य तथा जिसकी पुष्टि अभियोक्त्री के पिता व माता के कथनों के द्वारा होती है, इसलिए धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि पूरी तरह से न्यायसंगत थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. विष्णु, उर्फ उण्डरीया (पूर्वोक्त) प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार कहा है:

> "अभियोक्त्री का साक्ष्य, हमारे विचार में, काफ़ी स्वाभाविक है, विश्वास जागृत करता है एवं स्वीकार योग्य है। भारत के पारम्परिक, अनुमतिहीन, बंधनकारी समाज में, कोई आत्म-सम्मानित तथा गरिमामय बालिका या स्त्री किसी पर उसकी पवित्रता भंग करने का झूठा आरोप लगाने का झूठा कथन कर उसके भविष्य में विवाह की सम्भावनाओं और उपयुक्त विवाहिक साथी का बलिदान नहीं देगी। ऐसा कर वह न सिर्फ अपने विवाह और पारिवारिक जीवन की भावी संभावनाओं की तिलांजली देगी, परन्तु अपने ऊपर समाज तथा परिवार से बहिष्कृत होने दंश को न्योता देगी। अभियोक्त्री के कथन से पता चलता है कि अभियुक्त उसे यह कहकर होटल ले गया कि उसकी पत्नी अस्पाताल में भर्ती है। वह उसे नानावती अस्पाताल ले जाने के बहाने से होटल ले गया, उसे कमरे में ले जाकर कमरे का दरवाजा बन्द कर दिया तथा उसे धमकी दी कि यदि वह चिल्लाई तो उसे ख़त्म कर देगा तथा बलपूर्वक उससे यौनाचार किया। हमारी दृष्टि से धारा 375 के खण्ड तीन भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से परिभाषित बलात्कार है। यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि एकमात्र अभियोक्त्री का साक्ष्य विश्वासनीय होतो दोषसिद्धी स्वीकार किया जाना चाहिए, ।''

14. अभियोक्त्री का साक्ष्य का अवलोकन उपरोक्त कसौटी पर करने पर, मैं पाता हूँ कि उसका साक्ष्य कि अपीलार्थी गणेश ने उसका मुँह दबाया और उसे बलपूर्वक अपीलार्थी हेमेन्द्र राज द्वारा चलाए जा रहे स्कूटर पर बैठाया

और दोनों अपीलार्थी उसे अपीलार्थी हेमेन्द्र राज के घर ले गए सम्पूर्ण रूप से विश्वसनीय है। यह सत्य है कि अभियोक्त्री ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं बताया कि अपीलार्थी गणेश ने उसे हाथ पकड़कर खींचा था, उसे जबरन स्कूटर पर बैठाया था, उसका मुँह दबाकर रखा था और अपने पैरों से उसके दोनों पैरों को दबाकर रखा था। लेकिन यह सुस्थापित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी अपराध को निर्मित करनेवाले सम्पूर्ण तथ्यों का विश्वकोष नहीं है। अभियोक्त्री ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र-पी/5 में उल्लेख किया था कि उसे अपीलार्थीगणों के द्वारा जबरन स्कूटर पर पंचशील नगर में अपीलार्थी हेमेन्द्र राज के घर पर ले जाया गया था, जहाँ उसे कमरे में बन्द कर दिया गया। अभियोक्त्री के द्वारा अनुभव किए गए मानसिक सदमे, आघात और अपमान को देखते हुए उससे यह आशा नहीं की जा सकती है, कि वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थीगण के प्रत्येक प्रत्यक्ष कार्य का के बारे में बताएगी। यही तर्क अभियोक्त्रि के साक्ष्य की कंडिका 3 और 4 के लिए भी लागू होता है, जिसमें उसने विस्तृत विवरण दिया है कि किस तरह से अपीलार्थी हेमेन्द्र राज ने उसे निर्वस्त्र कर बलात्कार करते हुए अपनी वासना मिटाई और कुछ समय के पश्चात फिर से यौन क्रिया दोहराई । प्रथम सूचना रिर्पोट में अभियोक्त्री ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि अपीलार्थी हेमेन्द्र राज ने दो बार बलात्कार किया था। उसने प्रथम सूचना रिर्पोट में अथवा अपने साक्ष्य में अपीलार्थी गणेश को यौन हमले में झूठा फँसाने की कोई कोशिश नहीं की है। अवश्य उसका साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जब वह परिरोध में थी और अपीलार्थी हेमेन्द्र राज उसके साथ बलात्कार कर रहा था, तब अपीलार्थी गणेश बाहर उपस्थित था। उसने ही करीब रात को 3 बजे अपीलार्थी हेमेन्द्र राज को अभियोक्त्री को छोड़ने के लिए यह कहते हुए कहा कि ''इसको ठिकाना लगाकर आओ ''।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. यह तर्क कि अभियोक्त्री की साक्ष्य अविश्वसनीय है क्योंकि उसने बलात्कार होते समय प्रतिरोध नहीं किया, न ही शोर मचाया अस्वीकार्य है। अभियोक्त्री ने कंडिका 3 में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि जब अपीलार्थी हेमेन्द्र राज उसके साथ बलात्कार कर रहा था तब उसने प्रतिरोध करने की कोशिश की, परन्तु अपीलार्थी हेमेन्द्र राज ने उसे पीटा और उसका गला दबाकर रखा था। अपीलार्थी हेमेन्द्र राज द्वारा पहला यौन कृत्य करने के बाद वहां से जाने पर भी, उसने अपनी चुप्पी के कारण को अपने कथन में अच्छी तरह से समझाया है, क्योंकि अभियोक्त्री ने कथन किया है कि उस समय वह रो रही थी, जबकि बाहर अपीलार्थी जोर-जोर से हँस रहा था। अपीलार्थी हेमेन्द्र राज द्वारा उसकी निजता का उल्लंघन करने के बाद उसके मानसिक सदमे, डर, आघात और अपमान की भावना के बारे में, कोई भी कल्पना ही कर सकता है, जबकि अपीलार्थी हेमेन्द्र राज के साथ अपीलार्थी गणेश उस कमरे के बाहर खड़े थे। इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि बेचारी अभियोक्त्री उस समय विकट रूप से मानसिक और भावनात्मक भय व परेशानी से त्रस्त थी और वह शोर मचाने के स्थान पर रो रही थी।

16. कंडिका 7 में अभियोक्त्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसकी योनी से रक्तस्राव नहीं हुआ था, जो कि डॉ. श्रीमति प्रतिभा दानी (अ.सा.-3) के कथन से स्पष्ट है, कि घटना दिनांक से पूर्व अभियोक्त्री ने यौन सम्बन्ध का अनुभव किया होगा। यह भी ध्यान में रखा जाना है कि अभियोक्त्री के साथ अपीलार्थी हेमेन्द्र राज के घर के अन्दर बिस्तर पर निर्वस्त्र कर उसके साथ बलात्कार किया गय था, जो उसके शरीर पर चोट की अनुपस्थिति के कारण को समझाता है। इस बात पर कोई सन्देह नहीं है कि आमोस थापा (अ.सा.-2) ने न्यायालय में झूठा साक्ष्य दिया है, क्योंकि अभियोक्त्री ने घटना के तुरन्त बाद दर्ज की गई प्रथम सूचना रिर्पोट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि सुबह लगभ 3 बजे अपीलार्थी हेमेन्द्र राज ने स्कूटर पर बुद्ध विहार, चरोदा के पास अभियोक्त्री को छोड़ा था, वहाँ वह गोरखा चौकीदार से मिली थी और उसे घटना के बारे में बतायी थी। अभियोक्त्री का साक्ष्य श्रीमति तुलसी सिंगोरे (अ.सा.-8) और श्री प्रकाश सिंगोरे (अ.सा.-9) के साक्ष्य से पुष्टि होती है, जिन्हें वह सुबह 3:30 बजे गोरखा चौकीदार के साथ घर लौटने के तुरन्त बाद घटना के बारे में बतायी थी। इस तरह अभियोक्त्री के साक्ष्य कि पुष्टि उसकी माँ श्रीमति तुलसी सिंगोरे (अ.सा.-8) और भाई श्री प्रकाश सिंगोरे (अ.सा.-9) जिन्हें उसने 3 बजे रात में लौटने के तुरंत बाद घटना के बारे में बताया से होती है। यदि अभियोक्त्री स्वेच्छा से अपीलार्थी के साथ, स्कूटर पर अपीलार्थी हेमेन्द्र राज के घर गयी होती और अपीलार्थी हेमेन्द्र राज द्वारा किए गए यौन सम्बन्ध के लिए सहमत होती, तो वह घर लौटने के बाद तुरन्त अपनी माँ और भाई को अपने साथ हुई घटना के बारे में नहीं बताती, अथवा उसके तुरन्त बाद पुलिस स्टेशन, भिलाई-3, दुर्ग में अभियोक्त्री के द्वारा प्राथमिकी दर्ज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर अभियोक्त्री सहमत पक्ष होती तो वह ऐसा कुछ भी नहीं करती। अभियोक्त्री से अपीलार्थी गणेश द्वारा प्रति-परीक्षण मात्र यह दर्शाने के लिए किया गया कि यह स्थापित हो सके कि घटना के पूर्व अभियोक्त्री उसे जानती नहीं थी। पूरे अभिलेख में ऐसा कोई सामग्री (साक्ष्य) नहीं है जिससे यह पता चल सके कि गणेश या हेमेन्द्र राज के प्रति अभियोक्त्री का कोई द्वेष या उन्हें फँसाने का उसके पास कोई मंशा थी।

17. बचाव पक्ष के गवाहों के साक्ष्य स्पष्ट रूप से बाद-का-विचार है। अभियोक्त्री की प्रति-परीक्षण के दौरान मुकेश डोंगरे (ब.सा.-1) एवं जग्गु उर्फ जगेश्वर (ब.सा.-2) को उपस्थित नहीं किया गया था। अभियोक्त्री से नहीं पूछा गया कि क्या वह अपीलार्थी हेमेन्द्र राज के किराना दुकान में अपीलार्थी हेमेन्द्र राज को उससे विवाह करने के लिए विवश करने के लिए गयी थी। अभिलेख में ऐसा कोई सामग्री नहीं है जिससे पता चले कि अपीलार्थी हेमेन्द्र राज और अभियोक्त्री आपस में मिलते-जुलते थे, अथवा दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे, अथवा अपीलार्थी हेमेन्द्र राज ने अभियोक्त्री से शादी करने का वादा किया था। यह अभियोक्त्री ने साफ़ तौर पर अपने प्रतिपरीक्षण में अस्वीकार किया था। यह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तर्कसंगत नहीं लगता है कि एक अविवाहित युवती जो अपीलार्थी हेमेन्द्र राज को जानती तक नहीं थी एवं उसके साथ कोई पूर्व सम्बन्ध नहीं था (जो कि अभियोक्त्री की साक्ष्य के कंडिका 15 से ज्ञात होता है), रात में अपीलार्थी की दुकान पर जाएगी और उसे झूठा फँसाने की घमकी देकर अपने साथ विवाह करने के लिए विवश करेगी। परम्परा से बँधे हुए व पारम्परिक सीमाओं को लांघते हुये अनुमतिहीन समाज में अभियोक्त्री अपीलार्थीगण को अपना अपहरण करने एवं आवेदक हेमेन्द्र राज पर उसकी शील भंग करने का झूठा आरोप लगाकर भविष्य में विवाह की सम्भावनाओं को बलिदान देते हुये तथा संभावनाओं को ख़तरे में डालकर झूठा साक्ष्य नहीं देगी। विष्णु, उर्फ उण्डरीया (पूर्वोक्त) प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकट विचारों का अवलंब कर मेरा सुविचारित मत है कि अभियोक्त्री का कथन कि उसे अपीलार्थीगण ने बलपूर्वक अपहरण किया तथा अपीलार्थी हेमेन्द्र राज के घर ले गए एवं अपीलार्थी हेमेन्द्र राज द्वारा उससे दो बार बलपूर्वक बलात्कार किया गया, स्वाभाविक विश्वासनीय व स्वीकार योग्य है। यह भी प्रासंगिक है कि बचाव साक्षी मुकेश डोंगरे (ब.सा.-1) तथा जग्गु उर्फ जगेश्वर (ब.सा.- 2) के साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अपीलार्थी हेमेन्द्र राज के माता-पिता घर पर नहीं थे और अपीलार्थी हेमेन्द्र घर में अकेला था। प्रतीत होता है कि इस स्थिति का फायदा उठाते हुए अपीलार्थी हेमेन्द्र ने अपनी यौन लालसा को सन्तुष्ट करने के लिए अभियोक्त्री का अपहरण किया और अपीलार्थी गणेश के सक्रिय सहायता से अभियोक्त्री को अपने घर के अन्दर बन्द कर उसके साथ दो बार बलात्कार किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. जैसा की रणजीत हजारिका (पूर्वोक्त) में माना गया है उस तरह से डॉ. प्रतिभा दानी (अ.सा.-3) का चिकित्सकीय साक्ष्य केवल परामर्श प्रकृति का है, वह किसी भी तरह से अभियोक्त्री के साक्ष्य को झूठला नहीं सकता, विशेष कर इस तथ्य को देखते हुए कि अपहरण करते वक्त अपीलार्थी हेमेन्द्र तथा गणेश ने अभियोक्त्री को शारीरिक रूप से नियंत्रित कर लिया था एवं अपीलार्थी हेमेन्द्र राज द्वारा उसे धमकाकर अपने घर के डॅबल बेड पर बलात्कार किया गया था ।

19. उप-निरीक्षक अशोक जोशी (अ.सा.-6), प्रभारी अधिकारी, पुलिस स्टेशन, भिलाई -3 ने दो बेडशीट और अपीलार्थी हेमेन्द्र की अडरवियर प्र-पी/10 और अभियोक्त्री की सलवार प्र-पी/12 के साथ अभियोक्त्री की योनी-स्लाईड प्र-पी/2 की जप्ती प्रमाणित की है। डॉ. प्रतिभा दानी के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से दर्शित है कि उनके द्वारा योनी-स्लाईड दिनांक 09-08-2003 को तैयार और सील की गई थी। एफ.एस.एल. रिपोर्ट से इस बात का कोई सन्देह नहीं है कि बेडशीट, अभियोक्त्री का सलवार व अभियोक्त्री की योनी-स्लाईडों में वीर्य और मानव-शुक्राणु पाए गए हैं एवं

इसके लिए बचाव पक्ष से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। यह एक और परिस्थिति है जो अभियोक्त्री के साक्ष्य रूप से समर्थन करता है।

20. इस तरह से अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का समग्रता से विचार करने के बाद मेरा यह सुविचारित मत है कि अभियोक्त्री का साक्ष्य न केवल उसकी माँ श्रीमति तुलसी सिंगारे (अ.सा.-8) और भाई श्री प्रकाश सिंगोरे (अ.सा.-9) के साक्ष्य से पुष्टि होती है, परन्तु साथ ही एफ.एस.एल. रिपार्ट से भी पुष्टि होती है। अभियोक्त्री के शरीर पर चोटों की अनुपस्थिति का कारण भी अभियोक्त्री के साक्ष्य में है। उसके द्वारा तुरंत अपीलार्थीगणो के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज़ करायी गयी थी। इस तरह अभियोक्त्री का साक्ष्य विश्वसनीय है। अभिलेख में ऐसा कोई निश्चयात्मक प्रमाण नहीं है कि जिससे अपीलार्थगण को झूठा फँसाने के कारण के बारे में पता चले। मैं अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं के इस तर्क से असहमत हूँ कि चिकित्सकीय मत से अभियोक्त्री के साक्ष्य की पुष्टि के बिना अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि गलत है। विष्णु, उर्फ उण्डरीया (पूर्वोक्त) प्रकरण में कहा गया है कि न्यायालय चिपककर घिसे-पीटे सूत्र से चिपका नहीं रह सकता है, एवं जब सम्पूर्णता में यौन अपराध पीड़ित महिला द्वारा कही गई बात, न्यायिक बुद्धि को सम्भाव्य लगे तो न्यायालय पुष्टिकरण के लिए हठ नहीं कर सकता। ऐसा कोई कारण नहीं है कि भविष्य में उपयुक्त साथी से विवाह की सम्भावनाओं की बलि देकर व उसे खतरे में डालकर अभियोक्त्री जिस समाज और पारिवारिक समूह से सम्बन्धित है उससे त्याज्य होने एवं निष्काषित होने के रोष को न्योता देकर अभियोक्त्री अपीलार्थीगणों को झूठा फँसाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों में अपीलार्थी हेमेन्द्र राज उर्फ राजा, को धारा 365, 366, 342 व 376 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत एवं अपीलार्थी गणेश सोनी को धारा 365, 366 व 342 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्धि और विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा दी गई सज़ा पूरी तरह से न्यायसंगत है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि विद्वान विचरण न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय की कंडिका 17 में यह निष्कर्ष दिया है कि अपीलार्थी हेमेन्द्र राज उर्फ़ राजा ने अभियोक्त्री के साथ दो बार बलात्कार किया, फिर भी अपीलार्थी हेमेन्द्र राज उर्फ़ राजा, को धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत केवल एक अपराध के लिए सज़ा सुनाई गयी। चूँकि राज्य द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, इसीलिए इस पर अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

22. परिणामस्वरूप, दांडिक अपील क्र. 428/2004 एवं दांडिक अपील क्र. 482/2004 गुण विहीन होने के कारण ख़ारिज किये जाते हैं। अपीलार्थी गणेश 11-09-2006 को सुबह 11:00 बजे इस न्यायालय के रजिस्ट्री

कार्यालय में आत्म-समर्पण करेगा, ताकि सज़ा भोगने के लिए उसे जेल भेजा जा सके। यदि अपीलार्थी गणेश आदेशानुसार आत्म-समर्पण करने में विफल रहता है, तो रजिस्ट्री इस न्यायालय से आगे का आदेश प्राप्त करेगी ।

हस्ताक्षरित/-
दिलीप राव साहेब देशमुख,
न्यायाधीश,

Translated by Ashish Beck Advocate.

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur